रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233968
CG-DL-E-07032022-233968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/ फाल्गुन 16, 1943
No. 974] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

सं. 57/2015–2020

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी (एचएस) 0106 90 00 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 1004(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 (समय–समय पर यथा संशोधित) के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी (एचएस) 0106 90 00 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है।

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
01069000	अन्य	प्रतिबंधित	इस अध्याय के नीतिगत शर्त 6 के अधीन	i. इस अध्याय के नीतिगत शर्त 6 के अधीन ii. दिनांक 17.01.2020 के का. ज्ञा. सं. बीटी/बीएस/17/635/2015–पीआईडी के

				तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित *'अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन हेतु जीई जीवों और उनके उत्पादों के आयात, निर्यात और आदान–प्रदान पर संशोधित सरलीकृत प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों'* के प्रावधानों के अनुसार आईबीएससी अनुमोदन के अधीन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का आयात 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभावः दिनांक 17.01.2020 के का.ज्ञा.सं. बीटी/बीएस/17/635/2015–पीआईडी के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित *'अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन हेतु जीई जीवों और उनके उत्पादों के आयात, निर्यात और आदान–प्रदान पर संशोधित सरलीकृत प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों'* के प्रावधानों के अनुसार आईबीएससी अनुमोदन के अधीन आईटीसी (एचएस) 01069000 के तहत केवल *'ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर'* का आयात 'मुक्त' किया जाता है। *'ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर'* का आयात जो उक्त संशोधित सरलीकृत प्रक्रियाओं के प्रावधानों के तहत नही आता है, के लिए डीजीएफटी से आयात प्राधिकार पत्र अपेक्षित होगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/200/एएम–02/पीसी–2(क)/ई–1702]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

No. 57 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy conditions of items under ITC HS 0106 90 00 of Chapter 01 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy)

S.O. 1004(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 1.02 and paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends the import policy condition of items under ITC(HS) 0106 90 00 of Chapter 01 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy) as under:-

ITC(HS) Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
01069000	Other	Restricted	Subject to Policy Condition 6 of this Chapter.	i. Subject to Policy Condition 6 of this Chapter. ii. Import of *Drosophila melanogaster* is 'Free', subject to IBSC approval, as per the provisions of the *Revised Simplified Procedures/ Guidelines on Import, Export and Exchange of GE organisms and products thereof for R&D purpose* notified by the Department of Biotechnology vide OM No. BT/BS/17/635/2015-PID dated 17.01.2020.

Effect of the Notification: The Import of only '*Drosophila melanogaster*' under ITC (HS) 01069000 is 'Free' subject to IBSC approval, as per the provisions of the '*Revised Simplified Procedures/ Guidelines on Import, Export and Exchange of GE organisms and products thereof for R&D purpose'* notified by the Department of Biotechnology vide OM No. BT/BS/17/635/2015-PID dated 17.01.2020. The import of '*Drosophila melanogaster*' which does not fall under the provisions of aforesaid Revised Simplified Procedures would require an import authorisation from DGFT.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.01/89/180/200/AM-02/PC-2(A)/E-1702]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.07 16:22:50 +05'30'